

## समाहरणालय मुंगेर।

(जिला योजना कार्यालय)

### कार्यादेश

एकीकृत कार्य योजनान्तर्गत जिला चयन समिति द्वारा चयनित निम्नांकित पथो के निर्माण हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मुंगेर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 176/क्षे0यो0, दिनांक 25.09.2013 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की गई है। सम्यक विचारोपरान्त योजनाओ के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मुंगेर को कार्यकारी एजेंसी नामित करते हुए अग्रलिखित शर्तों के साथ राशि विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

क0	प्रखंड	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्त की जा रही राशि
1	2	3	4	5	6
1	ह0 खड़गपुर	धपड़ी मोड़ से बढौना गांव तक सड़क का निर्माण/जिर्णोद्धार	45512700.00	43368231.00	21684000.00
2	जमालपुर	गढ़ीरामपुर गांव से पाटम सतसंग नगर तक पी0सी0सी0 सड़क का निर्माण/जिर्णोद्धार	31215100.00	29745048.00	14872000.00
3	धरहरा	जतकुटिया गांव से कठोर तक सड़क का निर्माण/जिर्णोद्धार	14390800.00	13714344.00	6857000.00
योग-			91118600.00	86827623.00	43413000.00

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो0- 43413000.00 (चार करोड़ चौतीस लाख तेरह हजार) रू0 मात्र।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मुंगेर को अग्रलिखित शर्तों के अधीन इस योजना का कार्य कराने का आदेश दिया जाता है-

#### शर्तें-

1. राशि उपलब्ध होने के बाद ही योजना का कार्यान्वयन करेंगे।
2. योजना के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध हो।
3. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व मध्य एवं पूर्ण होने के बाद फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा कर अभिलेख में संधारित किया जाय।
4. योजना स्थल पर विस्तृत सूचना पट्ट लगायी जाय।
5. कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता लगातार योजना का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे एवं योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेवार होंगे।
6. गुण नियंत्रण प्रमंडल से गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
7. योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. योजना के पूर्ण होने के बाद संबंधित प्रशासनिक विभाग को योजना के रख रखाव संधारण हेतु हस्तान्तरित करेंगे।
9. एकीकृत कार्य योजना अन्तर्गत योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना द्वारा निर्गत संकल्प निदेश के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

10. निविदा/एकरारनामा के Special Condition के प्रावधान के आलोक में तीन वर्षों की Defect liability Period में संवेदक अपने खर्चे पर पथ का रख रखाव करेंगे तथा इस Period के समाप्त होने के उपरांत ही Maintanance की राशि का व्यय किया जाएगा।
11. Contingency की राशि के व्यय का लेखा अलग से संधारित होना चाहिए।
12. योजना का कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
13. इस कार्यक्रम के तहत सामग्रियों एवं सेवा के कय तथ अधिप्राप्ति के मामले में बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों का अनुसरण अनिवार्य होगा।
14. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित कर लेंगे की इस योजना में विगत 5 वर्षों में कार्य नहीं हुआ है।
15. कार्यकारी एजेंसी संवेदक को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व Structural Design उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
16. किसी भी योजना का Duplication नहीं हो।
17. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय/क्षेत्रीय योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
18. संबंधित विभाग से योजना का एनओसी प्राप्त कर ले।
19. योजना का कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
20. राशि का संधारण बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
21. किसी भी परिस्थिति में योजना की राशि का विचलन अन्यत्र नहीं होगा।

—  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।

ज्ञापांक 503/जि०यो०, दिनांक 3/10/13

- प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
कृपया जिला योजना कार्यालय, मुंगेर से स्वीकृत राशि का चेक प्राप्त करना सुनिश्चित करे।
- प्रतिलिपि— नाजिर, जिला योजना कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल मुंगेर को स्वीकृत राशि का चेक हस्तगत कराना सुनिश्चित करे।
- प्रतिलिपि— क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि— आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ समर्पित

—  
जिला पदाधिकारी,  
मुंगेर।